राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302015
(**दूरभाष नं0:–** 0141–2740837,, **फैक्स** 0141–2742309, **ई–मेल:–** jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– एफ.4(ई)(एम–815/2013)/अलेसे–III/249-251 **दिनांक :–** 13/05/22

आदेश

श्री मनीष कुमार अग्रवाल, कनि. लेखाकार कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, सिरोही में कनि. लेखाकार के पद पर कार्यरत थे। जिनका स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से वित्त (राजस्व) विभाग की स्वीकृति/सहमति क्रमांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2021 दिनांक 18.01.2022 के अनुसरण में प्रशासनिक आधार एवं राज्य हित में तहसील, नोखा (बीकानेर) में किये जाने पर श्री मनीष कुमार अग्रवाल, कनि. लेखाकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण, राजस्थान जयपुर में दायर अपील संख्या 442/2022 के निर्णय दिनांक 21.02.2022 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर अपील संख्या 3507/2022 के निर्णय दिनांक 08.03.2022 के अनुसरण में अपना अभ्यावेदन दिनांक 11.03.2022 को प्रस्तुत कर स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर रिक्त पद पर आबूरोड़ जिला सिरोही में पदस्थापित करने का अनुरोध किया है। श्री मनीष कुमार अग्रवाल के उक्त अभ्यावेदन के क्रम में प्रकरण की वस्तु स्थिति निम्न प्रकार है:–

श्री मनीष कुमार अग्रवाल, कनि. लेखाकार कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, सिरोही में कनि. लेखाकार के पद पर कार्यरत थे। जिनका स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से वित्त (राजस्व) विभाग की स्वीकृति/सहमति क्रमांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2021 दिनांक 18.01.2022 के अनुसरण में प्रशासनिक आधार एवं राज्य हित में तहसील, नोखा (बीकानेर) में किया गया है।

राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण, राजस्थान जयपुर में दायर अपील संख्या 442/2022 आदेश दिनांक 21.02.2022 एवं जोधपुर कोर्ट में दायर अपील संख्या 3507/2022 आदेश दिनांक 08.03.2022 के क्रम में श्री मनीष कुमार अग्रवाल से प्राप्त अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दुओ का गहनता पूर्वक विचार एवं परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि श्री मनीष कुमार अग्रवाल, कनि. लेखाकार/तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा–2013 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा चयनित अभ्यर्थी है। तत्समय आबूरोड (सिरोही) गैर अनुसूचित क्षेत्र में होने के कारण इनका पदस्थापन प्रथम नियुक्ति पर आदेश दिनांक 30.06.2017 द्वारा उपकोष, आबूरोड़ (सिरोही) में किया गया था। इसके पश्चात् अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 के द्वारा आबूरोड़ (सिरोही) को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया था। ऐसी स्थिति में गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु चयनित कार्मिक को अनुसूचित क्षेत्र से हटाकर गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित करना आवश्यक था। इस हेतु श्री मनीष से कोई विकल्प भी लिया जाना उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें उसी क्षेत्र में पदस्थापित किया जा रहा था, जिसके लिए वह चयनित (अर्थात नॉन टी.एस.पी.) हुए है। ज्ञातव्य है कि टी.एस.पी. एवं नॉन टी.एस.पी. श्रेणी में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कर्मचारी के द्वारा दिये गए विकल्प के आधार पर ही चयन किया जाता है। श्री मनीष कुमार अग्रवाल का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से राज्य सरकार के आदेश/निर्देश की पालना में राज्य हित में जारी किया गया है, जिसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निरस्त किया जाना अथवा परिवर्तित किया जाना उचित नहीं है।

अतः श्री मनीष कुमार अग्रवाल, कनि. लेखाकार के अभ्यावेदन पर नियमानुसार उन्हें कोई अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.4(ई)(एम–815/2013)/अलेसे–III/249-251 **दिनांक :–** 13/05/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, सिरोही।
3. श्री मनीष कुमार अग्रवाल, कनि. लेखाकार कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, सिरोही।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)

F:\letter.docx1025